nt>

12.07 hrs.

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS BILL, 2004*

Title: Introduction of the National Commission for Minority Educational Institutions Bill, 2004.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): Sir, I beg to ...(*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजने में कोई परेशानी नहीं है।â€¦(व्यवधान) It may be an Ordinance, but even then, कोई इमरजैंसी नहीं है, कोई रिपील नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इसे स्टैंडिंग कमेटी को अच्छी तरह देख लेना चाहिए।â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Let it be introduced first. After that, we shall certainly see as to what could be done.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसमें आपत्ति की है।

अध्यक्ष महोदय : आपको बुलाएंगे, थोड़ा धीरज रखिए। Even before he has opened his mouth, all these things are being said. Now, I request the Minister to move the motion.

SHRI ARJUN SINGH: Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to constitute a National Commission for Minority Educational Institutions and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. SPEAKER: Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill to constitute a National Commission for Minority Educational Institutions and to provide for matters connected therewith or incidental thereto."

Now, I give the floor to Shri V. Radhakrishnan.

रू□□(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूंâ€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने नोटिस दिया था, इसलिए इनको बुला रहा हूं।

***Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 7.12.2004.**

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I oppose the introduction of the Bill at this stage because there is a national demand to curtail the powers of the private management, the self-financing professional colleges. I do not want to stand in the way of giving this privilege to the minority community. However, without curtailing the powers of the management of the professional colleges in respect of fixing or levying capitation fees, the Government is giving a licence to the minority institutions.

MR. SPEAKER: You are speaking on the merits.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Without having a central legislation giving directions to the self-financing colleges in the matter of fixing fees, it will not be good to give licences in the name of minorities. The professional colleges will be levying capitation and other fees, and it will create a hue and cry. In the name of minorities, we cannot give them a licence.

MR. SPEAKER: You are speaking on the merits.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : The Government has to first bring forward a central legislation to fix the powers of the management. After that, we will take up this issue. If we are going to pass this, at this stage, in the name of minorities, these institutions will be levying capitation fees, and the student community would be put to difficulties. Therefore, it would be better if the hon. Minister brings a central legislation first. Then, you can give the rights to the management. Without that, it will not serve any purpose.

MR. SPEAKER: You have deviated from what you have mentioned in your notice.

Prof. Rasa Singh Rawat, you have not given any reason. However, as you know, we have now changed the rule. It will probably be coming into existence soon. In future, you have to give reason.

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित करने से अपनी असहमति व्यक्त करता हूं और अपना

विरोध प्रकट करता हूं। शिक्षा मूलत: राज्य का विाय है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों से इस बारे में राय ले ली गई है? इसी सन्दर्भ में मेरी आपत्ति यह है कि 3 जुलाई, 2004 को जब नयी सरकार ने काम सम्भाला था, तब उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था। बुद्धिजीवियों के नाम पर, अल्पसंख्यक आयोग के नाम पर और उस समय बीजेपी को जान-बूझकर आमंत्रित नहीं किया गया था। बीजेपी जिसके करोड़ों समर्थक इस देश के अंदर हैं। कांग्रेस को 146 सीटें मिलीं और बीजेपी को 138 सीटें मिलीं â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: You have to speak on the merits.

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं जो बताना चाहता हूं, वह यह है कि इतने बड़े बहुमत को इस प्रकार से ाँतरस्ँत करना, निरादर करना जिसमें यह निश्चय किया गया था कि एक आयोग लाया जाएगा, उस बैठक में हमको नहीं बुलाया गया। हमारी पार्टी के नेताओं को, बीजेपी के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया, इतना बड़ा भेदभाव जानबूझकर किया गया। तीसरी मेरी आपत्ति यह है कि,â€¦ (व्यवधान) भारतीय संविधान के अंदर समानता का अधिकार जब दिया गया है तो यह अल्पसंख्यकवाद का ि वाय केवल वोट-बैंक की राजनीति के नाम पर इस प्रकार से अलग आयोग बनाना है जबकि अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है। मानवाधिकार आयोग बनाने की बैंत करें तो बैंत हो सकती है लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण आयोग अलग से बनाने की क्या आवश्यकता है? जब कमीशन बना हुआ है, अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है और मदरसा बोर्ड बनाने की बैंत हो रही है तो इसकी क्या आवश्यकता है ? â€¦ (व्यवधान) अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करने की संविधान में व्यवस्था है। हम भी चाहते हैं कि Justice to all and appeasement to none. सबको न्याय मिले और किसी की तुटीकरण की नीति नहीं चले। लेकिन तुटीकरण के नाम पर, वोट-बैंक के नाम पर, कांग्रेस यह विधेयक लेकर आई है â€¦ (व्यवधान)

देश की आजादी को 57 साल हो गये हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू से बढ़कर इस देश के बारे में सोचने वाला और कौन हो सकता है ? लेकिन वह भी ऐसा विधेयक नहीं लाए। जो सरकारें आईं, वे भी कभी ऐसा विधेयक नहीं लाईं और अब केवल अल्पसंख्यकवाद के नाम पर इस आयोग को लाने की आवश्यकता पड़ी। इसकी क्या आवश्यकता है ? इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

MR. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to constitute a National Commission for Minority Educational Institutions and to provide for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, इस बिल को कमेटी में भेजने की मैंने रिक्वेस्ट की थी। उस पर ृँपा करके अपना निर्णय बताएं। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: I cannot take a decision just now, I shall consider it certainly. You know that I have been one of those persons who have been very strict on this. But I have to see certain things.

The Minister may now introduce the Bill.

SHRI ARJUN SINGH: Sir, I introduce the Bill.